झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय-(बजट) सत्र
वर्ग-5

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक 29 फाल्गुन 1936(श0) को 20 मार्च, 2015(ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02.	03	04	05.	06.
उ0सं 592.	स0- 18	श्री निरल पुरती	स्वास्थ्य केन्द्र भवन को पूर्ण करना।	स्वास्थ्य	01.03.15
उ0सं 593.	सं0- 04	श्री आलमगीर आलम,	गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य केन्द्र भवन पूर्ण कराना।	स्वास्थ्य	24.02.15
उ0सं 594.	सं0- 46	श्री लक्ष्मण टुडू,	स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराना।	स्वास्थ्य विभाग	12.03.15
उ0सं 595.	सं0- 29	श्री नागेन्द्र महतो,	संवेदक अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई।	स्वास्थ्य	03.03.15
उ0सं 596.	सं0- 37	श्री कमल किशोर भगत,	अस्पताल की शय्या क्षमता बढ़ाना।	स्वास्थ्य	04.03.15
उ0सं 597.	चि0- 02	श्री कमल किशोर भगत,	मेडिकल कॉलेज एवं शोध केन्द्र की स्थापना	चिकित्सा शिक्षा एवं शोध	04.03.15
उ0सं 598.	श्रनि- 15	श्रीमती जोबा मांझी,	पठन-पाठन कार्य शुरू कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	11.03.15
उ0सं 599.	स0- 44	डॉ0 जीतू चरण राम,	स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवनों को सौंपने के संबंध में।	स्वास्थ्य	12.03.15

कृ0पृ0उ0

01	02.	03.	04	05.	06.
600.	अनि- 05	श्री लाल मरांडी,	आई0टी0आई0 कॉलेज का जीर्णोद्धार करना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	26.02.15
601.	वि0- 01	श्री अरूप चटर्जी	नीति निर्माण करना।	चिकित्सा शिक्षा एवं शोध	01.03.15
602.	अनि- 17	श्री लक्ष्मण टुडू,	शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	12.03.15
603.	रा0- 13	श्री निरल पुरती,	खतियानों एवं नक्शों को बिहार सरकार से प्राप्त करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	01.05.15
604.	स0- 43	श्रीमती जोबा मांझी,	अनुबंधकर्मियों को नियमित करना।	स्वास्थ्य	11.03.15
605.	रा0- 13	श्री पौलुस सुरीन,	जमीन का मुआवजा देना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	.1.03.15
606.	स0- 19	श्री केदार हाजरा,	स्वास्थ्य केन्द्र भवन पूर्ण करना।	स्वास्थ्य	01.03.15
607.	स0- 40	श्री सीमोन मरांडी,	शैक्षणिक वातावरण निर्माण करना।	स्वास्थ्य	11.03.15
608.	अनि0-06	श्री केदार हाजरा,	आई0टी0आई0 कॉलेज खोलना।	श्रम नि0 एवं प्रशिक्षण	01.03.15
609.	स0- 32	श्री फूलचंद मण्डल,	चिकित्सा सुविधा मुहैया करना।	स्वास्थ्य	04.03.15
610.	सं0- 47	श्री संजीव सिंह,	स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करना।	स्वास्थ्य	12.03.15
611.	स0- 12	श्री तालेश्वर मरांडी,	चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करना।	स्वास्थ्य	26.02.15
612.	रा0- 15	श्री जगरनाथ करमली,	नियंत्रण कार्य शुरू करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	04.03.15
613.	वि0प्र0-04	श्री जगरनाथ महतो,	पढ़ाई कार्य शुरू कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	25.02.15
614.	क0- 03	श्री राम कुमार पाहन,	दुकानों का निर्माण करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	27.02.15

01	02.	03.	04	05.	06.
615.	सं0- 13	श्री शशिभूषण सामाड़	वंशहीन जमीन वसे करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	04.03.15
616.	स0- 42	डॉ0 इरफान अंसारी,	नियुक्ति को रद्द करना।	स्वास्थ्य	11.03.15
617.	श्रनि0-09	श्री लागेन्द्र महतो,	आई0टी0आई0 का कार्य पूरा कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	04.03.15
618.	दा0- 04	श्री राजकुमार यादव,	किसानों को सुविधा देना	आपदा प्रबंधन	11.03.15
619.	श्रनि0-10	श्री शशि भूषण सामाड़	आई0टी0आई0 में प्रशिक्षण प्रारंभ करना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	04.03.15
620.	श्रनि0-14	श्री अरूप चटर्जी,	विधवा एवं विधवाओं को पेंशन योजना से जोड़ना	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	11.03.15
621.	श्रनि0-16	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,	प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था करना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	12.03.15
622.	सं0- 17	श्री रवीन्द्रनाथ महतो,	स्वास्थ्य केन्द्र खोलना	स्वास्थ्य	01.03..5
623.	स0- 41	डॉ0 इरफान अंसारी,	गरीबों का इलाज कराना।	स्वास्थ्य	11.03.15
624.	दा0- 05	श्री पौलुस सुरीन,	दाखिल खारिज करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	26.03.15

रॉची,
दिनांक- 20मार्च,2015

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची.

ज्ञाप सं0 - प्रश्न-07/15-1416/वि0स0, राँची, दिनांक- 18/3/2015

प्रति:- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(दिवाकर धारी प्रसाद)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-07/15-1416/वि0स0, राँची, दिनांक- 18/3/2015

प्रति:- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, मंत्रीय कार्यालय को इस आशय माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/15
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

(592)

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम तांतनगर प्रखण्ड परिसर में वर्ष 2007 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तांतनगर का भवन जिला परिषद, प0 सिंहभूम चाईबासा कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा कनीय अभियंता श्री प्रहलाद पंजियार एकरारनामा कर विभागीय रूप से कार्यान्वयन कराया जा रहा था.	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन अबतक पूर्ण नहीं हुआ है.	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अधुरा पड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तांतनगर को पूर्ण कराने पर विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	योजना कार्य कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद चाईबासा द्वारा विभागीय रूप से किया जा रहा था। मुख्य भवन, चतुर्थ वर्गीय आवास, पारामेडिकल आवास इत्यादि का फिनिसिंग कार्य शेष है। इस योजना हेतु 2.78 करोड़ व्यय किया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद चाईबासा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अन्य योजनाओं में प्राथमिकी दर्ज रहने के कारण योजना बंद है। विभागीय पत्रांक–477(6) दिनांक 09.06.14 द्वारा जिलास्तर पर लंबित योजनाओं का अन्तिम गाधी कर अवशेष कार्यों का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की मांग मुख्य अभियंता स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है। प्राक्कलन हेतु पुनः मुख्य अभियंता को विभागीय पत्रांक 151 (6) दिनांक 18.03.15 द्वारा स्मारित किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर योजना कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 8/पी0 वि0 स0 (ता0) 11/2015 163(6) स्वा0, राँची, दिनांक : 19.3.15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक–385 दिनांक–01.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15

सरकार उप सचिव

Dhagat/Vidhansabha/16

(593)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं 04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहरवा, साहिबगंज के भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2005–06 में प्रारंभ किया गया था, जो अबतक अधूरा है।	आंशिक स्वीकारात्मक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहरवा के भवन निर्माण का एम0ओ0यू0 24 दिसम्बर 2007 को कार्य एजेन्सी एच0एस0सी0एल0 के साथ किया गया था। भूमि अनुपलब्धता के कारण एकरारनामा 2010 में किया गया। तत्पश्चात् पुराने एवं जर्जर आवासीय भवन तोड़ने का आदेश मिलने के पश्चात् चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी/चिकित्सा पदाधिकारी/पारामेडिकल आवास तथा मुख्य अस्पताल भवन के आधे भाग का निर्माण प्रारंभ किया गया। मुख्य अस्पताल के आधे भाग का निर्माण एवं एक इकाई पारामेडिकल आवास तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास पूर्ण है। इसमें पुराने अस्पताल को हस्तांतरित करते हुए पुराने अस्पताल भवन को तोड़कर शेष आधे अस्पताल भवन का निर्माण कार्य इसी मद्द में प्रारंभ किया जायेगा। भवन निर्माण कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है।
2	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहरवा के निर्माण कार्य में अनियमितता के कारण छत से पानी रिसाव हो रहा है।	विभागीय पत्रांक 134(6) दिनांक–12.03.15 द्वारा कराये गये कार्यों की जांच हेतु विभागीय मुख्य अभियंता से अनुरोध किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो राज्य सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहरवा के निर्माण को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी0 वि0 रा0 (ता0) 03/2015 164 (6) स्वा0, राँची, दिनांक : 19.3.15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक–3 I दिनांक–24.02.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.15

सरकार उप सचिव

Bhaga /Vidhansabha/21

594

श्री लक्ष्मण टुडू, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 20-03-2015
को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–46 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री लक्ष्मण टुडू, रा० वि० रा०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत घाटशिला विधान सभा क्षेत्र मुसाबनी, धालभूमगढ़ प्रखण्ड में निर्मित सामाजिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं घाटशिला अनुमण्डल अस्पताल को अबतक चालू नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक। i) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुसाबनी में पानी की व्यवस्था है, बिजली कनेक्शन करने की व्यवस्था की जा रही है। ii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धालभूमगढ़ में बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है iii) घाटशीला अनुमण्डल अस्पताल में पानी की व्यवस्था है, बिजली कनेक्शन नहीं है। उपरोक्त वर्णित चिकित्सा केन्द्रों पर पानी/बिजली की व्यवस्था हो जाने के पश्चात् चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
2-	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पताल को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या : 15/चैप्र0-08–20/15 - 127 (15) राँची, दिनांक– 19-3-15
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञप संख्या प्र०– 1150 दि० दि०– 12-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

19.3.15
सरफेर के अवर सचिव

595

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय रा0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं–29 का उत्तर प्रतिवेदन :

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड स्थित पलौजिया में 70 बेड का रेफरल अस्पताल दिनांक–18.04.13 से निर्माणाधीन है.	अस्वीकारात्मक है। गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्ड मुख्यालय में 30 शय्याकक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 207(5)व दिनांक 24.11.08 द्वारा प्रदान की गई थी। भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा भवन सिविल सर्जन को हस्तान्तरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित रेफरल अस्पताल का निर्माण सन्तोषजनक नहीं है, छत से पानी टपकता है, घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है.	अस्वीकारात्मक है। भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच बी0आई0टी0 सिन्दरी, धनबाद से कराई गई है जिसमें गुणवत्ता संतोषजनक प्रतित होता है। छत से पानी चूने के संबंध में निगरानीय पत्रांक–149(6) दिनांक–18.03.15 द्वारा मुख्य अभियंता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रेफरल अस्पताल पलौजिया के निर्माण कार्य को जाँच कराकर संवेदक, अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं वर्णित अस्पताल के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है. हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, विधिकरण शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी0 वि0 स0 (ता0) 12/2015 159(6) स्था0. राँची, दिनांक : 19.3.15

प्रतिलिपि : सह सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक–621 दिनांक–03.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.15

सरकार उप सचिव

Bhagat/Siddiqui/15

(596)

श्री कमल किशोर मगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक -20.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं–स0 37 का लिखित प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला में एक मात्र सरकारी अस्पताल में संसाधनों का घोर अभाव है, जिसके कारण गरीबों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है,	अस्वीकारात्मक है। सदर अस्पताल लोहरदगा में संसाधनों एवं सामान्य दवा का अभाव नहीं है। यहाँ ऑपरेशन प्रतिदिन होता है।
2	क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल में 100 शय्या की ही व्यवस्था है जिसके कारण मरीजों को निजी क्लीनिकों का शरण लेना पड़ता है,	यहाँ 100 शय्यावाला अस्पताल है। अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों का इलाज किया जाता है। शय्या के अभाव में कोई भी मरीज को बाहर जाने की सूचना नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में उद्भूत सदर अस्पताल की क्षमता 500 शय्या करने के साथ साथ आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में जिला अस्पतालों को 500 शय्यावाला अस्पताल में उत्क्रमण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी0 वि0 स0. (प्र0)–22/2015 157(6) स्वा0. राँची, दिनांक : 19·3·15

प्रतिलिपि :-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक–766 दिनांक-04.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.15

सरकार उप सचिव

Vinod/Vidhansabha/24

847

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.03.15 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–चि–02 से संबंधित उत्तर सामग्री ।

प्रश्नकर्ता / प्रश्न	उत्तरदाता / उत्तर
श्री कमल किशोर भगत,मा0 स0 वि0 स0	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री स्वा0, चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला में मेडिकल कॉलेज एवं शोध केन्द्र नहीं होने से यहाँ के छात्रों को दूसरे राज्यों में दाखिला लेना पड़ता है ?	लोहरदगा जिले के तीन छात्र पी0एम0सी0एच0, धनबाद, तीन छात्र रिम्स, राँची एवं चार छात्र एम0जी0एम0, जमशेदपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहें हैं। जहाँ तक दूसरे राज्यों में दाखिला का प्रश्न है इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
2. क्या यह बात सही है खण्ड 01 में वर्णित मेडिकल कॉलेज एवं शोध केन्द्र नहीं होने से राज्य को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है ?	अस्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरदगा जैसे पिछड़ा जिला में मेडिकल कॉलेज एवं शोध केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में राज्य में तीन चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद में संचालित है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा दुमका, पलामू एवं हजारीबाग में नया चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त है. लोहरदगा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का कोई योजना नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–9 / विधायी –08–08 / 2015 प0 (07) राँची, दिनांक– 18/3/15

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को विधानसभा अधिवेशन के उनके ज्ञाप सं0–50–767 दिनांक–04.03.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/3/15

(कुमार अखिलेश प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्रीवास्तव

349 17-03-15 598

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या -- श्र0नि0–15 का उत्तर सामग्री –

क्र0	प्रश्नकर्त्री **श्रीमती जोबा मांझी,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार
1	*2*	*3*
1	क्या यह बात सही है कि मनोहरपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) का भवन पूर्ण हो चुका है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि इसका उद्घाटन भी दिनांक 4 जून, 2012 को हो चुका है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस संस्थान में पठन-पाठन का कार्य कब तक द्वितीय वर्ष-सेशन से कराने का विचार रखती है, यदि तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में नवनिर्मित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पी0पी0पी0 के अन्तर्गत किया जाना है। भारत सरकार के उपक्रम SAIL से अनुरोध के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनोहरपुर को SAIL के सहयोग से संचालित करने हेतु सहमति दी गयी है। SAIL को विभाग के द्वारा करार (MoU) का प्रारूप प्रेषित किया गया है, हस्ताक्षरोपरांत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनोहरपुर का भवन संचालन हेतु SAIL को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

17.03.15
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक :– 3/प्रशि0– (विधान सभा)–19/2015–349 राँची, दिनांक :– 17-03-15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–1018 दिनांक–11.03.2015 के प्रसंग में 200 एकपक्षीय प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.03.15
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची.

38

599

श्री डॉ0 जीतू चरण राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक- 20.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं-स0-44 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कांके विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सभी निर्मित स्वास्थ्य उप केन्द्रों का स्वामित्व, निर्माण विभाग के एजेन्सियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवनों का रख-रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है,	कांके विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड कांके एवं बुडमू अन्तर्गत 39 स्वास्थ्य उप केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है अबतक 23 स्वास्थ्य उप केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्मित भवनों का हस्तानांतरण हुआ है जिसमें अस्पताल संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवनों का स्वामित्व (Handover) स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य उप केन्द्र भी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहा है,	तदैव
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कांके विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवनों का स्वामित्व (Handover) स्वास्थ्य विभाग को सौंपना चाहती है...यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	शेष निर्माणाधीन 16 स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों को अविलम्ब पूर्ण कर हस्तानांतरण के लिए संबंधित कार्य एजेन्सी को निदेशित किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी0 वि0 स0 (ता0)-25/2015 165(6) स्वा0, राँची, दिनांक : 19.3.15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक-1111 दिनांक 12.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.15

सरकार उप सचिव

Sanjay/Vidhansabha/17

(600) 374 19-03-15

श्री ताला मरांडी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–05 का उत्तर सामग्री।

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री ताला मरांडी. माननीय सदस्य विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राजेबगंज जिलान्तर्गत साहेबगंज शहर में स्थापित आई0टी0आई0 कॉलेज की स्थिति काफी जर्जर है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि जर्जर आई0टी0आई0 कॉलेज जर्जर रहने से स्थानीय गरीब छात्रों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है;	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साहेबगंज के भवन में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्य तथा पठन पाठन किया जा रहा है। संस्थान के प्रशासनिक भवन एवं छात्रावास के भवनों में मरम्मत की आवश्यकता है।
3	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आई0टी0आई0 कॉलेज साहेबगंज को जीर्णोधार करने पर विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साहेबगंज के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला तथा छात्रावास की मरम्मति हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, साहेबगंज को अनुरोध पत्र भेजा गया है। शीघ्र मरम्मति करायी जायेगी।

19/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)–02/2015-379 रॉची, दिनांक :-19-03-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-196 दिनांक-26.02.2015 के प्रसंग में 200 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

(601)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 20-03-2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या चि 01 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्ता श्री अरूप चटर्जी, स० वि० स०	उत्तरदाता श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 26-02-2015 तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2-	यदि उपरोक्त खण्ड का जवाब स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त विषय पर एक ठोस नीति निर्माण की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणात्मक संवर्द्धन एवं विकास के लिए विभागीय संकल्प सं० 248 (2) दिनांक– 22-08-06 द्वारा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सरकारी प्रोत्साहन नीति का गठन किया गया है (छाया प्रति संलग्न)

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06 04/15 38(9) राँची, दिनांक 11/3/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 382 दिनांक - 01-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/15

(कुमार गिथिअरा प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(602) 360 18-03-15

श्री लक्ष्मण टुडू , माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–17 का उत्तर सामग्री –

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री लक्ष्मण टुडू माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत एतशिला विधान सभा क्षेत्र के घाटशिलाअंचल प्रखण्ड के अंतर्गत निर्मित आई0 टी0 आई0 भवन बनकर तैयार है। पर अभी तक शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसी सत्र में उपरोक्त वर्णित प्रखण्ड में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ करना चाहती है, यदि तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम को पी0 पी0 पी0 मॉडल के अन्तर्गत संचालन हेतु जे0 आर्इ0 एस0 फाउन्डेशन का चयन किया गया है एवं एम0 ओ0 यू0 करने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ कर दी जायेगी।

18/03/15
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0– (विधान सभा)–23/2015– 360 राँची, दिनांक :– 18-03-15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–1147 दिनांक–12.03.2015 के प्रसंग में 200 सकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/03/15
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

603

श्री निरल पुरती, स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या: स०–10 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न		उत्तर प्रतिवेदन
	क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :		
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अभिलेखागारों में रखे गये खतियानों एवं नक्शों की स्थिति काफी जीर्ण शीर्ण एवं खराब हो गया है तथा कट फट गया है ;		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उन खतियानों एवं नक्शों के जीर्ण–शीर्ण एवं खराब होने के कारण सही अवस्था में खतियानों एवं नक्शों की अधिप्रमाणित प्रति भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि इन खतियानों के फटे–फटे अवस्था में प्राप्त होने से रैयतों एवं भूमि सुधार संबंधी कार्य अनसुलझे रह जाता है;		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविभाजित बिहार के समय पटना अभिलेखागार में रखे तीसरी प्रति बिहार सरकार से प्राप्त करने पर विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		जिला में खतियानों की तीसरी प्रति जिला अभिलेखागार में ही सुरक्षित रहती है। रैयतों का उपलब्ध भू–नक्शा जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। जिलों का अनुपलब्ध नक्शों की मुद्रित प्रति गुलजार बाग प्रेस, बिहार, पटना से प्राप्त करने के लिए संबंधित बंदोबस्त कार्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के संगत प्रावधानों के आलोक में उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य के सभी राजस्व ग्रामों के कैडेस्ट्रल नक्शों, जिनकी संख्या लगभग 82,119 है, को मूल रूप से झारखण्ड राज्य को हस्तांतरण के लिए बिहार सरकार से कई पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया है। झारखण्ड राज्य से संबंधित नक्शों को प्राप्त करने के लिए दिनांक 16.01.15 को पटना में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस विषय को रखा गया था। बिहार सरकार से नक्शों का हस्तांतरण झारखण्ड को नहीं किया गया है। बिहार सरकार से नक्शा प्राप्त हो जाने के पश्चात् उसे डिजिटाईज्ड कर संबंधित जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाएगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक: 9/स०वि (वि०स०ता०) 05/15 32/स० दिनांक– 12-03-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–300 वि०स०, दिनांक–31.03.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड राँची/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाण, झारखण्ड राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-3-2015

सरकार के उप सचिव

[illegible]

604

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 20-03-2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0 43 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्ता– श्रीमती जोबा मांझी, स० वि० स०	उत्तरदाता श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में NRHM द्वारा पूरे 24 जिला के विभिन्न सामुदायिक स्वा० केन्द्रों में ए०एन०एम० फर्मासिस्ट, एम०पी०डब्ल्यू कुल मिलाकर 62 हजार कर्मचारी अनुबंध में कार्यरत है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। NHM अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की संख्या निम्न प्रकार है:– i) ए०एन०एम०– 4653 ii) फर्मासिस्ट– 95 iii) एम०पी०डब्ल्यू– 1892 (भारत सरकार के पत्र दिनांक– 01-07-14 के आलोक में दिनांक– 30-09-14 से अनुबंध विस्तार नहीं किया गया है)
2-	यदि उपर्युक्त खण्डों में उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनुबंध कर्मियों को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स० 08–16/15- 117(15) राँची, दिनांक– 19-3-15
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1021 दिनांक– 11-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 19.3.15
सरकार के अवर सचिव

605

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–18 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री पौलुस सुरीन, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि तोरपा मुरहू पथ के निर्माण में ग्रामीण रैयतो की जमीन ली गयी है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जमीन का मुआवजा विभाग द्वारा अब तक ग्रामीणों को नहीं दिया गया है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कब तक जमीन का मुआवजा देने का विचार रखती है। यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत परियोजना के लिए अधियाची विभाग से अधियाचना प्राप्त हुआ है। अधियाचना प्राप्ति के पश्चात जाँच की जा रही है। इस परियोजना का मुआवजा भुगतान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के आलोक में कारंवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक 10ए/भू.अ.नि. वि.स.(तारां.)–38/2015...1091/रा., राँची, दिनांक–19-03-15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1016/वि.रा., दिनांक–11.03.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

19-3-2015
सरकार के उप सचिव

Vidhan Sabha-18(Vinay)

(606)

श्री केदार हजरा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं. स0–19 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड के मिर्जागंज में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जागंज का भवन निर्माणाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय अभियंता एवं संवेदक की लापरवाही के कारण अब तक अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जागंज का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है,	इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रू0 1,29,49,000/– है जिसके विरुद्ध रू0 46,90,850/– व्यय हुआ है। मुख्य अस्पताल भवन के प्रथम तल के लिन्टर्न लेवल तक ईंट जोड़ाई कार्य तथा पास मेडिकल एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी के आवास का संरचना कार्य पूर्ण एवं प्लास्टर आंशिक हुआ है।
3	क्या यह बात सही है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण पूर्ण नहीं होने से स्थानीय जनता को समुचित स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है,	अस्वीकारात्मक है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जागंज के पुराने भवन में सप्ताह में एक दिन डॉ0 राजेश दूबे चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है। यहाँ चिकित्सक का एक पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध नियमित पदस्थापन चिकित्सक उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जगंज का निर्माण कार्य पूर्ण कराने पर विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी0 वि0 स0 (ता0)–09/2015 154(6) स्था0, राँची, दिनांक : 19.3.15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक 360 दिनांक–01.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.15

सरकार उप सचिव

[illegible]

607

श्री स्टीफन मरांडी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.03.15 को पूछा जाने वाला तारांकित

प्रश्न सं0–40 से संबंधित उत्तर सामग्री

1. क्या यह बात सही है कि विगत दिनों रिम्स में विद्यार्थियों के बीच हुई घटना के बाद अध्ययन पर रोक लगा दी गयी है ।	स्वीकारात्मक। वर्तमान में शांतिपूर्ण माहौल के पश्चात् दिनांक–11.03.2015 से कक्षाएं प्रारम्भ कर दी गई है ।
2. क्या यह बात सही है कि रिम्स में प्रबंधन द्वारा समुचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने में असफलता और प्रशासनिक सूत्रधार की कमी के कारण स्थिति काफी चिंताजनक हो गयी है	अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि रिम्स में प्रशासनिक अक्षमता का नुकसान आम विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है ।	अस्वीकारात्मक। 1. दिनांक 03.02.2015 को हुई आकस्मिक घटना के पश्चात रिम्स प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के विद्यार्थियों के बीच शांति बनाए रखने हेतु विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ कई बार बैठकें की गयी। जिला प्रशासन एवं विभागीय सयुक्त सचिव एवं प्रधान सचिव द्वारा भी कई बार बैठकें की गयी। 2. जिला प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के विद्यार्थियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। कार्यपालक दण्डाधिकारी, राजा अनुमण्डल, रांची के न्यायालय में दिनांक–26.03.2015 को सुनवाई निर्धारित है। 3. विभागीय पहल, रिम्स प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से वर्तमान में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित कर पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अक्षम अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने तथा रिम्स में समुचित शैक्षणिक वातावरण निर्माण करने हेतु कौन से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	तथैव।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–11/वि0स0–05–03/2015 51(11) रांची, दिनांक 18/3/15

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0 40 1020 वि0स0 दिनांक 11.03.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/3/15

सरकार के उप सचिव

सीमा

3/C
12-03-15 (608)

श्री केदार हजरा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–06 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री केदार हजरा, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ विधान सभा के दोनों प्रखंड देवरी एवं जमुआ में एक भी सरकारी आई0टी0आई0 कॉलेज नहीं है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रखंडों में सरकारी आई0टी0आई0 कॉलेज नहीं रहने से स्थानीय छात्रों को शिक्षण कार्य में कपी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जमुआ विधान सभा के देवरी एवं जमुआ प्रखंड में सरकारी आई0टी0आई0 कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2014-15 एवं आगामी वित्तीय वर्ष–2015-16 में गिरिडीह जिला के जमुआ विधान सभा के दोनों प्रखंड देवरी एवं जमुआ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

12/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(विCस0)–09/2015–310 रॉची, दिनांक :–12-03-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या–387 दिनांक–01.03.2015 के प्रसंग में 200 चक्रचलित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

(609)

श्री फुलचन्द मण्डल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 20-03-2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या—रा०—32 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता— श्री फुलचन्द मण्डल, स० वि० स०	उत्तरदाता— श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला स्थित बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दा का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण किया गया है ;	स्वीकारात्मक। नव निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दा अभी तक असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद को हस्तांतरित नहीं की गयी है।
2-	क्या यह बात सही है कि बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रधानखंता में सी०आर०पी०एफ० कैम्प खोला गया है ;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि खण्ड— 01 व 02 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा मुहैया होने से क्षेत्र के लगभग 25000 की आबादी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त होगा ;	स्वीकारात्मक।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो राज्य सरकार उक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्र में अविलम्ब चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	i) नव निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दा हस्तांतरित होने के उपरांत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ii) उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रधानखंता से सी०आर०पी०एफ० कैंप अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने हेतु विभाग स्तर से पत्रांक— 107 (15) दिनांक— 16-03-15 के द्वारा पुलिस महानिदेशक, उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, धनबाद से अनुरोध किया गया है। उक्त केन्द्र से सी०आर०पी०एफ० कैंप के अन्यत्र स्थानांतरित होने जाने के उपरांत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०—08—10/15 128(15) स्वा०, दिनांक 19-3-15
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०— 675 दिनांक— 04-03-15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव

610

श्री संजीव सिंह, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.03.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित प्र. प्रश्न संख्या 47 का उत्तर सामग्री :-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के अरिया, प्रखण्ड अन्तर्गत बनियाहीर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन वर्षों से तैयार होकर पड़ा है।	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरिया–सह–जोरफोरेस्ट का भवन बनियाहीर में निर्माणाधीन है जो निर्माण कार्य हुआ है, उसमें बस्ती नई अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु पत्र निर्माण विभाग को विभागीय पत्रांक–448 (8) दिनांक 21.05.2014 द्वारा अनुरोध किया गया है। साथ ही अवशेष कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन के साथ विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य अभियंता को दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत संरचना की कमी के कारण–साथ चुनाव के आधार पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे आम जनता को चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।	आधार भूत संरचना से संबंधित स्थिति खण्ड 1 में स्पष्ट की गई है। उक्त केन्द्र में कुल–11 चिकित्सक तथा 27 अन्य कर्मी कार्यरत है।
3	यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सुविधा को यथाशीघ्र अविलंब कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक - 3/वि0 स0 03 24/2015 -35.5(3) रांची, दिनांक- 19/3/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके ज्ञापांक-1151 दिनांक 12.03.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव

611

श्री ताला मरांडी, सदस्य वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 26.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर सामग्री।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अस्पताल का दर्जा होने के बावजूद भी 500 MA Digital X-Ray Machine, पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा एवं अन्य व्यवस्था अबतक प्राप्त नहीं हो पायी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अस्पताल में 100 MA Table X-Ray Machine उपलब्ध एवं कार्यशील है। पैथोलोजिकल जांच के साथ-साथ Ultra Sound, C-Section, 24X7 की सुविधा, पथ्य सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे नेत्र चिकित्सा एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ, दन्त चिकित्सक, हृदय रोग फिजीसियन, मनोरोग विशेषज्ञ का घोर अभाव है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, साहेबगंज में कुल 12 चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिसमें दन्त चिकित्सक–1, फिजीसीयन–1 तथा मनोरोग विशेषज्ञ–1 शामिल है। इसके अतिरिक्त एक नेत्र सहायक भी पदस्थापित है।
3	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की व्यवस्था अबतक नहीं हो पायी है ;	अस्वीकारात्मक। साहेबगंज सदर अस्पताल में ब्लड बैंक कार्यरत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के साथ चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति के विषय रखते है, यदि हाँ तो अबतक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपर स्पष्ट कर दी गई है विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु नियमावली गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है। नियुक्ति के उपरान्त यथा राज्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना की जायेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/विधान–03-04/15 2-914 (3) राँची, दिनांक– 10/3/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ई-पत्र संख्या प्र० 102 दिनांक 26.02.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक–1/नि.वि.रा. 02/2015.....

612

झारखण्ड सरकार,
निबंधन विभाग

माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो, रा०वि०स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–रा०–15 का उत्तर।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री जगरनाथ महतो, रा०वि०स०	माननीय मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत डूमरी प्रखण्ड में निबंधन कार्यालय दिनांक 24.06.2011 से चल रहा है?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त निबंधन कार्यालय में आज तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है?	वित्तीय वर्ष 2011–12 में तत्कालीन अंचल अधिकारी–सह–प्रभारी अवर निबंधक द्वारा अंचल अधिकारी के कक्ष में 30 (तीस) दस्तावेज निबंधित किए गए। परन्तु कार्यालय कक्ष छोटा होने के कारण निबंधन कार्य में कठिनाई होने लगी जिसके कारण अंचल कार्यालय से 1.5 कि०मी० की दूरी पर दूसरे भवन में निबंधन कार्यालय स्थानांतरित किया गया। इस भवन में झारनेट लिंक एवं अन्य आवश्यक सुविधाए नहीं रहने के कारण निबंधन कार्य सम्पादित नहीं हो रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि डुमरी में निबंधन होने से आम लोगों को गिरिडीह निबंधन कार्यालय में 600 रू० निबंधन कराने पर अधिक लगता है?	स्वीकारात्मक। यदि अवर निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित दस्तावेज का निबंधन जिला निबंधन कार्यालय में कराया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन फीस तालिका के अनुच्छेद (झ) के अंतर्गत रू० 500/- (पाँच सौ) तथा अनुच्छेद (ड) के अन्तर्गत रू० 150/–(एक सौ पचास) शुल्क देय है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डुमरी निबंधन कार्यालय में निबंधन करवाने का कार्य शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	डुमरी अंचल कार्यालय में स्थानाभाव के कारण निबंधन कार्यालय के लिए अलग से आवंटित भवन में झारनेट कनेक्शन हेतु आवश्यक साजो–सामान जैसे राउटर, स्विच, लैन केबलिंग इत्यादि की स्थापना जैप०आई०टी० के अंतर्गत अधिकृत एजेंसी यू०टी०एल द्वारा करवाया जा रहा है। इस निमित्त आवश्यक राशि का आवंटन पत्रांक–1404 दिनांक–07.11.14 द्वारा 1,75,000/– (एक लाख पचहत्तर हजार) रू० एवं पत्रांक–301 दिनांक–18.03.2015 द्वारा 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रू० जिला अवर निबंधक गिरिडीह को उपलब्ध कराया गया है। लिंक की स्थापना होने के पश्चात निबंधन कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

ज्ञापांक 305 राँची, दिनांक– 19-3-15

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–679 दिनांक–04.03.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

19/3/15

सरकार के अवर सचिव,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

E/3 288 10-03-15

श्री जगरनाथ महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वि0प्र0–02 का उत्तर सामग्री।

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री जगरनाथ महतो, माननीय सदस्य विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि डुमरी विधान सभा अन्तर्गत डुमरी प्रखंड में आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त कॉलेज में पढाई का कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखंड में निर्माणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण पूर्ण हो गया है। अभिपरिषद द्वारा राज्य में नवनिर्मित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पी0पी0पी0 मोड किये जाने के निर्णय के अनुसार, "इच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से निविदा का प्रकाशन करते हुए प्रतिष्ठित कम्पनी / एन0जी0ओ0 / संस्था को संस्थान के संचालन हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

10/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–05/2015–288 रॉची, दिनांक :– 10-03-15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या–232 दिनांक–28.02.2015 के प्रसंग में 200 चक्रवर्धित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

614

श्री राजकुमार पाहन, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–12.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–03 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री राजकुमार पाहन, माननीय स.वि.स.		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के गोन्दली पोखर बाजार टांड चौक में 2 एकड़ खाली जमीन है,		अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा दुकान लगाया जाता था जिसे प्रशासन द्वारा खाली करा दिया गया है,		स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त दुकानों के खाली हो जाने से वहाँ के लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुएँ खरीदने के लिए काफी दूर के दुकान में जाना पड़ता है जिससे गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है,		अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त खाली पड़ी जमीनों पर दुकानों का निर्माण कराकर दुकानदारों की विधिवत् आवंटित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?		उक्त खाली पड़ी जमीनों पर दुकान का निर्माण कराना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि सड़क के किनारे का जमीन पथ चौड़ीकरण में टूटने की संभावना है साप्ताहिक बाजार के लिए बाजार का शेड पूर्व से निर्मित है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
ज्ञापांक–6/रा.भू.वि.स.तारां.–30/2015 826 /रा., राँची, दिनांक– 11.03.15

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–171/वि.स., दिनांक–27.02.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, कल्याण विभाग, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

Vidhan Sabha-120March

615

श्री शशि भूषण सामाड़, स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.03.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत प्रखण्ड खुँटपानी कोल्हान थाना संख्या 02 में पातसिंह तथा मधुर होनहागा पिता–स्व0 चाम्बरु होनहागा का खाता संख्या 122 प्लॉट संख्या–25, कुल रकबा–9.55 एकड भूमि वर्ष जून, 1988 ई0 में ही वंशहीन हो चुका है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण मुण्डा के द्वारा बार-बार जिला प्रशासन को लिखित सूचना देने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा अबतक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। ग्रामीण मुण्डा द्वारा विभिन्न स्तरों पर लिखित सूचना दी गई है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–23 के तहत् कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त वंशहीन जमीन की वजह से गाँव की शांति एवं विधि व्यवस्था दिनों–दिन बिगड़ती जा रही है;	अस्वीकारात्मक। इस भूमि पर उक्त ग्राम के विभिन्न अनुसूचित जनजाति ग्रामीणों के द्वारा दखल कब्जा कर खेती का कार्य किया जा रहा है। जिसमें विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वंशहीन जमीन को कोटसोना ग्राम के होनहागा किली उप जाति 'हो' लोगों के बीच वंशहीन जमीन को बंटवारा करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–23 के अंतर्गत 02 (दो) माह के अंदर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–7/वि0स0(तारां0)–468/15 1080/रा0 दिनांक– 19-03-15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके पत्रांक–677/वि0स0, दिनांक 04.03.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15

सरकार के उप सचिव

(616)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 20-03-2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स०–42 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्ता– डॉ० इरफान अंसारी, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में अनुबंधित ए०एन०एम० चयन में भारी अनियमितताएं हुई हैं, अधिकतर ए०एन०एम० का अंत आवासीय प्रमाण पत्र एवं नकली पता है, साथ ही अभी तक रांची से 50 ए०एन०एम० का निबंधन नहीं हुआ है ?	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2005 में नियुक्त ए०एन०एम० का नियमितीकरण कर दिया गया है। वर्तमान में कुल– 197 ए०एन०एम० अनुबंध पर कार्यरत हैं, इनमें से 30 ए०एन०एम० के अंतिम रूप से झारखण्ड नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, रांची से निबंधन कराये जाने हेतु आदेश निर्गत है।
2-	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जॉचोपरान्त नियुक्ति को रद्द करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स० 08–15/15 –121(15) रांची, दिनांक– 19-3-15
प्रतिलिपि : श्रवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रांची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1023 दिनांक– 11-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 19.3.15
सरकार के अवर सचिव

350
17-03-15

617

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-श्र0नि0-09 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्ता श्री नागेन्द्र महतो, माननीय सदस्य विधान सभा;	उत्तरदाता श्री राज पलिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि सिंदरीडीह जिला के बगोदर प्रखंड स्थित अत्का में आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य वर्ष-2013 में प्रारंभ किया गया है, जो अपूर्ण है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड-1 में वर्णित निर्माणाधीन आई0टी0आई0 का कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराने के कारण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की तकनीकी शिक्षा बाधित है ;	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड-1 में वर्णित निर्माणाधीन आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य जनहित में पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सिंदरीडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखंड स्थित अत्का में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निर्माणाधीन औ0प्र0संस्थान का शेषांश निर्माण अंतिम चरण में है। मंत्रिपरिषद के, नवनिर्मित औ0प्र0संस्थानों को पी0पी0पी0 के माध्यम से संचालित करने के निर्णय के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बगोदर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत "इच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से निविदा का प्रकाशन करते हुए इच्छित कम्पनी / एन0जी0ओ / संस्था को संस्थान के संचालन हेतु उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

17/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-18/2015- 350 राँची, दिनांक :- 17-03-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-684 दिनांक-04.03.15 के प्रसंग में 200 फ्लैगनित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

28

(618)

श्री राजकुमार यादव, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक 20.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–दा०–04 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री राजकुमार यादव, माननीय स०वि०स०	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत गावां प्रखण्ड में सकरी नदी के बाढ़ से निमाडीह, बेलाखुशरा, अमतरो, गिरनिडीहर, ग्वालडीह, दहशरैनी, मानंजगुर, [illegible] री, मालडा, गावां, पटना, दिलो, भेलवा, सक–कोनी, [illegible], नाढ़ियाडीह, डुडकोल, मंझने, [illegible] सहित अन्य गावों के 3000 (तीन हजार) एकड़ जमीन कटाव से नदी में समा गई ;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक–545, दिनांक–[illegible].03.2015 के प्रतिवेदनानुसार सकरी नदी गावां अंचल की प्रमुख नदी है जो लगभग अंचल के सभी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यह एक पहाड़ी नदी है, जिसका बरसात के दिनों में मिट्टी कटाव काफी तेज होता है। चूँकि गावां अंचल पहाड़ियों से घिरा है, इसके सहायक नदियों के मिलने से इसका कटाव बरसात के दिनों में युक्त हो जाता है। चूँकि प्रतिवर्ष कटाव होने से भूमि अपरदन तथा फसल बर्बाद होती है तथा प्रतिवर्ष फसल के नुकसान होने से आज तक इसकी व्यापक [illegible] अधिक हो जाती है। बरसात के दिनों में यह नदियां कहीं कहीं रास्ता बदलती है जिससे कटाव अधिक व्यापक हो जाता है। जमीन की कटाव का [illegible] का सही सही आकलन संभव नहीं है। संबंधित गांव में सकरी तथा उसके सहायक नदियों का कटाव व्यापक होता है।
2. क्या यह बात सही है कि सकरी नदी के बाढ़ से विगत वर्षों मे खण्ड–1 में वर्णित गावों की करोड़ों की फसल बर्बाद हो गयी है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक–300, दिनांक–17.03.2015 के द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह को चालू वर्ष में बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति के संबंध में जाँचोपरान्त विधिवत् अधियाचना प्रस्ताव विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने संबंधी निदेश दे दी गई है। उपायुक्त, गिरिडीह से जाँचोपरान्त विधिवत अधियाचना प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो जाने पर राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुसार यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित गावों के किसानों को मुआवजा देने तथा नदी में गार्डवाल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	फसल क्षति से संबंधित मुआवजा के संबंध में स्थिति कंडिका 2 में स्पष्ट कर दी गई है। गार्डवाल बनाने का कार्य जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत आता है। अत इस संबंध में उत्तर सामग्री [illegible] को उपलब्ध कराने हेतु जल संसाधन विभाग को प्रश्न की प्रति हस्तान्तरित कर दी गई है।

झारखंड सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–05/आपदा(विधायी)–12/2015–332/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/03/15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को 200 (दो सौ) प्रतियों में/मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के अवर सचिव

6/8

श्री राज कुमार यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या दा-04 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के [illegible] प्रखण्ड में सकरी नदी के बाढ़ से निमाडीह, बेलाखुट्टा, कामता, बिरानीटीकर, नवाडीह, दसरोनी, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बेले, गलवा, [illegible], पसलडीहा, पछियारीडीह, [illegible], [illegible], [illegible], सहित अन्य गावों के 3000 तीन हजार एकड़ जमीन कटाव से नदी में समा गई;	–
2.	क्या यह बात सही है कि सकरी नदी के बाढ़ से विगत वर्षों में खण्ड (1) में वर्णित गांवों की करोड़ों की फसल बर्बाद हो गयी है;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित गांवों के किसानों को मुआवजा देने तथा नदी में गार्डवाल बनाने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जहाँ तक गार्डवाल बनाने का प्रश्न है, स्थल का निरीक्षण कराने के पश्चात् बजटीय उपबंध की उपलब्धता के आलोक में आगामी वित्तीय वर्षों में यह कार्य कराने पर विचार किया जा सकता।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि० 20 (स०) 75/15 – 1433 /राँची, दिनांक 19.03.15

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1017 दिनांक 11.03.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, [illegible], राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी प०स०को०–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अवर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 05/आपदा(विनियोग)12/2015-307(अनु०)/आ०प्र०, दिनांक 16.03.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.03.2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

3597/18/3/15 (619)

श्री शशि भूषण समाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–10 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री शशि भूषण समाद, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर स्थित पम्प रोड में आई0टी0आई0 का निर्माण वर्ष–2012–13 में हुआ है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि आई0टी0आई0 भवन पूर्ण है फिर भी अब तक शिक्षण चालू नहीं किया गया है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चक्रधरपुर स्थित आई0टी0आई0 प्रशिक्षण चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) को पी0पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत संचालन हेतु जे0 आई0 एस0 फाउन्डेशन के साथ एम0 ओ0 यू0 कर भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए हस्तगत करा दी गई है। उक्त संस्थान को इस वर्ष चालू करने की कार्रवाई की जा रही है।

18/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–15/2015– 3597 राँची, दिनांक :– 18/3/15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या–685 दिनांक–04.03.2015 के प्रसंग में 200 चक्रधालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

620

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–अनि 14 का प्रश्नोत्तर :–

प्रश्नकर्ता माननीय स०वि०स०, श्री अरूप चटर्जी	उत्तरदाता श्री सरयू राय, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले वृद्ध एवं विधवाओं को पेंशन देने की योजना है।	स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले वृद्ध एवं विधवाओं को उनके सम्बन्धित क्षेत्र की अर्हता (ग्रामीण क्षेत्र में 7995/–रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 9974/–रू0) पूरी करने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत 600/ रू0 प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला क्षेत्र में दिनांक–04.03.2015 तक भी पचास हजार वृद्ध एवं विधवा इस लाभ से वंचित है।	आंशिक स्वीकारात्मक । केन्द्र द्वारा राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के तहत जिलो की जनसंख्या के समानुपातिक प्रत्येक जिला में अर्हता प्राप्त लाभुकों को सक्षम प्राधिकार द्वारा पेंशन की स्वीकृति के पश्चात् उन्हें उपलब्धतानुसार ही पेंशन का भुगतान किया जाता है। धनबाद जिला में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजनान्तर्गत 30197 अर्हताप्राप्त पेंशनधारियों एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत 16259 अर्हताप्राप्त पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।
3 यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आवेदन उक्त पचास हजार लोगों को इस पेंशन योजना से जोड़ने की विचार रखती है, यदि तो कब तक नहीं तो क्यों?	गरीबी रेखा से नीचे के वृद्ध एवं विधवाएँ जो अभीतक पेंशन योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें इस पेंशन योजना से जोड़ने हेतु सतत सर्वेक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत दिनांक–24.07.2015 तक धनबाद जिला से 10712 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसपर सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँचोपरान्त स्वीकृति के पश्चात् निधि की उपलब्धतानुसार भुगतान संभव हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा)

ज्ञापांक–06/सा0सु0वि०स०(तारांकित प्रश्न)–03/2015– 110 राँची, दिनांक– 17.03.2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संo–1019/वि०स० दिनांक– 11.03.2015 के क्रम में 225 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

F:\S K Pyne\Vidhan Sabha Question

(62)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.03.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–16 का उत्तर :

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्र0नि0–16	श्री राजा पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूर प्रशिक्षण एवं रोजगार के अभाव में अन्य राज्यों में पलायन के लिए विवश हैं। जहाँ उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण होता है ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। गढ़वा जिलान्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूर के प्रशिक्षण एवं रोजगार के अभाव में पलायन किया जाने के संबंध में [illegible] विकास निदान से उनके पत्रांक 471 दिनांक 18.03.2015 एवं उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक 120 दिनांक 10.03.2015 के द्वारा सूचना दी गयी है कि गढ़वा जिला में मनरेगा अन्तर्गत जॉब कार्डधारियों एवं योजना में कार्य उपलब्ध कराने के संबंध में विवरण निम्न प्रकार से प्रतिवेदित किया गया है ➢ मनरेगा अन्तर्गत निबंधित अकुशल श्रमिकों द्वारा कार्य के मांग पर सहायक कार्य आवंटित किया जाता है। ➢ कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या 153447 ➢ काम मांगे गये कुल परिवारों की संख्या–61640 ➢ कार्य उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या 53019 ➢ कार्य उपलब्ध कराने हेतु शेष परिवारों की संख्या –9627 ➢ मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुरूप शेष बचे हुए परिवारों को कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त संदर्भ में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–240 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जिली प्रतिष्ठानों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार [illegible] कैम्प आयोजित किये गये, जिसमें वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 में कुल 5790 को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये हैं
2	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था देकर उन्हें पलायन से रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न की कंडिका–1 में विस्तृत उत्तर दे दी गयी है। इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

इ0नि0–02/श्रम0स0(प्र0ना0)–11/2015 श्र0नि0 476 राँची दिनांक 19/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 90 [illegible] दिनांक 12.03.2015 के अनुपालन में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/08/15

(कंचन अंजलि मुण्डा)
सरकार के उप सचिव।

(622)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं–स0 17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र के नहीं रहने के कारण वहाँ के ग्रामीणों को 30 40 कि0मी0 दूरी तय करके चिकित्सा करानी पड़ती है,	अस्वीकारात्मक है। जामताड़ा जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 17 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (फतेहपुर, अगैया सरगुंडी, वामनवाघी, जामजोडी, खैरवनी, वौरावाद, धंसनिया, वेनुडीह, धतुला, पालाजोरी, चापुरिया, डुमरिया, विदापाथर, सलपतरा, मोहनाबांक, सराघाडा, मझलाडीह) तथा 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (फतेहपुर एवं विदापाथर) कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि लम्बी दूरी रहने के कारण कुछ मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं,	अस्वीकारात्मक है। ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	फतेहपुर प्रखण्ड की आबादी 89645 है। भूमि एवं बजट उपलब्धता के आधार पर फतेहपुर प्रखण्ड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण के विन्दु पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी0 वि0 स0 (ता0)–08/2015 155(6) रवा0, राँची, दिनांक : 19.3.15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक 381 दिनांक–01.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.15

सरकार उप सचिव

Vidhansabha/12

623

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 20-03-2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स०–41 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्ता– डॉ० इरफान अंसारी, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० वि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा नगर के अन्तर्गत अनुमण्डलीय अस्पताल से मिलने वाली सुविधाएँ बंद हो जाने से वहाँ के मरीजों एवं गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जामताड़ा सदर अस्पताल शहर से 4.5 कि0 मी0 दूर स्थापित किया गया है जो एक साधारण एवं गरीब के जाने में संभव नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। जामताड़ा नगर अन्तर्गत अनुमण्डलीय अस्पताल को सदर अस्पताल को वर्ग दिया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा जनहित में दिये गये निर्देश के आलोक में नगर स्थित पुराने भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यान्वित है एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। सदर अस्पताल शहर से 2 कि0 मी0 दूरी पर स्थित है, यहाँ भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।
2-	क्या सरकार अनुमण्डल अस्पताल में भी मरीजों का इलाज करने का व्यवस्था कराने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स० 08–14/15 –118 (15) राँची, दिनांक– 19-3-15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1022 दिनांक– 11-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 19.3.15

सरकार के अवर सचिव

Tiwari

(624)

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.03.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–05 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री पौलुस सुरीन, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है राँची जिलान्तर्गत मौजा जरेया थाना नं.-319 खाता नं.–65 कुल रकबा–15.65 एकड़ जमीन एस.ए.आर. वाद संख्या–70/2007–08 में पारित आदेशानुसार दखल दहानी हेतु दिनांक–24 अप्रैल, 2008 को अंचल अधिकारी को प्रेषित की गई है,		स्वीकारात्मक। एस.ए.आर. वाद सं.–70/2007–08 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक– 29.04.08 को पारित आदेश के आलोक में मौजा–जरेया, थाना नं.–319, खाता नं.–65 के विभिन्न प्लॉट के कुल रकबा–15.65 एकड़ भूमि का पंत्रांक–653/24.05.08 द्वारा अंचल अधिकारी, नामकुम को दखल देहानी हेतु भेजा गया।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी द्वारा गैर आदिवासियों के नाम पर दाखिल–खारिज संबंधी आदेश निर्गत किया गया है,		एस.ए.आर. वाद सं.–70/2007–08 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में मो. बुधनी के द्वारा अपील वाद सं.–47 आर. 15/08–09 दायर किया गया अपीलीय न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची के द्वारा दिनांक–03.10.08 को अपील स्वीकृत किया गया, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, नामकुम के द्वारा गैर आदिवासियों के नाम दाखिल–खारिज स्वीकृत किया गया।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राम किस्कों सिंह बिझिया के वंशदार को दखल–दहानी दिलाते हुए अवैध तरीके से दाखिल–खारिज को रद्द करते हुए दोषी पदाधिकारी के उपर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों?		प्रश्नगत एस.ए.आर. वाद सं.–70/2007–08 के विरूद्ध दायर अपीलीय न्यायालय में एस.ए.आर. अपील वाद सं.–47R15/ 08-09 में दिनांक–03.10.08 को अपील स्वीकृत किया गया है एवं निम्न न्यायालय के दिनांक–29.04.2008 के आदेश को निरस्त किया गया है। संबंधित व्यक्ति अपील वाद सं.–47 आर. 15/08–09 में तथा दाखिल–खारिज के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–7/वि.स.(तारां.)–461/2015 1092/रा., राँची, दिनांक– 19-3-15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–104/वि.स., दिनांक–26.02.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15

सरकार के उप सचिव

Vidhan Sabha-I (Manoj)